राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांकःएफ.वी.7(9) उ.नि.प्र / 2009 / दिनांक :–

## –:: आदेश ::–

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा संचालित दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रवेश नियमों को राजस्थान पशुपालन अधिनस्थ सेवा नियम 1977 के अनुरूप पशुपालन विभाग में कार्यरत कर्मियों (पशुधन परिचर के पद पर 5 वर्ष से अधिक) को दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रवेश नियमो में सम्मिलित करवाने के क्रम में पूर्व मे जारी विभागीय दो वर्षीय प्रशिक्षण में प्रवेश सम्बन्धी दिशा निर्देश / नियम 2002, इस क्रम में समय–समय पर जारी संशोधित दिशा निर्देश एवं परिपत्र को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाकर विभागीय कर्मीयों को दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी नवीन दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किया जाता है।

विभागीय कर्मियों हेतु दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार योग्यता अनिवार्य है:–

a. विभागीय कर्मचारी जो पशुधन परिचर के पद पर 5 वर्ष का अनुभव पूर्ण करते हो।
b. पुरानी पद्वति से हायर सैकण्डरी या नई पद्वति से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा (भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान या उद्यान (कृर्षि), पशुपालन एवं जीव विज्ञान) विषयों से उत्तीर्ण हो।
c. विभागीय कर्मी की अधिकतम आयु आवेदन के समय 40 वर्ष से अधिक न हो।
d. विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान नियमानुसार अवकाश लेना होगा एवं किसी प्रकार का भत्ता आदि विभाग द्वारा देय नही होगा। विभागीय कर्मीयो को स्वयं के खर्चे पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

विभागीय कर्मी प्रवेश हेतु आवेदन करते समय एक प्रति नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से अनुशंषा सहित निदेशालय को प्रस्तुत करेगें। प्रार्थना पत्र के साथ अंकतालिका व चरित्र प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र तथा नियंत्रण अधिकारी की अनुशंषा आवश्यक होगी।

विभागीय कर्मीयों के लिये प्रवेश हेतु अन्य दिशा निर्देश निम्नानुसार है:–

1. विभाग के 4 प्रशिक्षण केन्द्र राजकीय पशुपालन प्रशिक्षण, बस्सी चक (जयपुर) जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में 5–5 सीटे अर्थात कुल 20 सीटें राजूवास, बीकानेर, द्वारा विभागीय कर्मियों के प्रवेश हेतु आरक्षित रखना होगा।
2. आरक्षित स्थानों पर योग्य विभागीय अभ्यर्थी के उपलब्ध नही होने पर राजूवास, बीकानेर द्वारा सामान्य प्रक्रिया से प्रवेश पूर्ण किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय द्वारा इन विभागीय कर्मियों को प्रवेश देने हेतु विज्ञप्ति में इनकी कुल सीटों का वर्णन करना होगा। विश्वविद्यांलय द्वारा प्राप्त विभागीय कमियो के आवेदनों की एक प्रति निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित करना आवश्यक होगा। निदेशक, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रवेश हेतु विभागीय कर्मियों के प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण पश्चात् 20 कर्मियों को संस्थावार चयनित कर सूची विश्वविद्यालय को प्रेशित की जावेगी, ततपश्चात् कर्मियों हेतु आरक्षित 20 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण की जावेगी।

उक्त दिशा निर्देश अविलम्ब प्रभावी माने जायेगे।

ह०
(एन.एल.गुप्ता)
शासन उप सचिव

क्रमांकःएफ.वी.7(9) उ.नि.प्र / 2009 / 854-58 दिनांक :– 08/09/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री पशुपालन, मत्स्य, एवं गोपालन विभाग ,राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं पशुपालन, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव शासन सचिव पशुपालन मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर को निम्नानुसार पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।
5. रक्षित पंजिका

शासन उप सचिव